न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 863-I/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–05–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 51/निगरानी/2005–06 ।

1–अंवताबाई विधवा भागीरथ
2–प्रेमनारायण पिता भागीरथ
3–नरेन्द्र पिता भागीरथ
4–मुकेश पिता भागीरथ
समस्त निवासीगण निलगंगा, चौराहा, उज्जैन (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन,
2–उपसंचालक नगर एवं ग्राम निवेश उज्जैन म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक आवेदकगण

अनावेदकगण–एकपक्षीय

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 3/6/14 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 51/निगरानी/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 18–05–2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सीमांकन के प्रकरण में तहसीलदार के द्वारा दिनांक 26–9–2005 को लिखी गई प्रोसिडिंग के विरूद्ध अपर कलेक्टर उज्जैन को निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर उज्जैन के समक्ष निगरानी लंबित रहते तहसीलदार ने दिनांक 23–12–2005 को अंतिम आदेश पारित कर दिया इस कारण अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी निरस्त की गई। इसके विरूद्ध भागीरथ द्वारा अपर आयुक्त न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 51/2005–06/निगरानी में दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 18–5–2010 से निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–5–2010 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लेने का अवेदन प्रस्तुत किया उस आवेदन पत्र पर आदेश पारित कर उत्तराधिकारियों का रिकार्ड पर लेना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तराधिकारियों के आवेदन पत्र पर कोई आदेश पारित किये बगैर मृतक भागीरथ के विरूद्ध आदेश पारित करने में महान वैधानिक त्रुटि की है क्योंकि मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश शून्य होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह विधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है । तर्क में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण तहसील के मूल रिकार्ड हेतु नियत था व पेशी दिनांक 25–5–2010 नियत की गई थी । इसी बीच उत्तराधिकारी के तर्क किये गये व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड न्यायालय में प्राप्त ही नहीं हुआ और न ही प्रकरण में आवेदक के अंतिम तर्क हुये । बिना रिकार्ड के व बिना आवेदक के तर्क सुने प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर निगरानी निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की वस्तु स्थिति को समझे बगैर व रिकार्ड के विपरीत जाकर काल्पनिक आधार पर आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमांकन की वैधता को चुनौती

दी व अवैध सीमांकन के संबंध में कई वैधानिक प्रश्न प्रस्तुत किये किंतु उन वैधानिक प्रश्नों को समझे बगैर जो आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया ।

4– प्रकरण में अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गई है ।

5– प्रकरण में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर विचार किया गया । यह सही है कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक की मृत्यु के उपरांत उसके वारिसान को रिकार्ड पर न लाने से उन्हें निगरानी उपशमित करनी थी । लेकिन उन्होंने ऐसा न करते हुये मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया । अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.